## कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी (खनन अनुभाग)

पत्रांक 1423 / खनन सहायक कौ0

दिनांक 08/01/2024

## ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 781/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 एवं शासनादेश संख्या 782/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक 26.05.2020 के अर्न्तगत प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को ई—निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि पर व्यवस्थित किया जाना है। उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई—टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध क्षेत्र में घोषित किया जाता है तथा दिनांक 19.01.2024 से 24.01.2024 तक (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई—निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई—निविदा आमंत्रित की जाती है, विवरण निम्नवत् है :-

## 1-क्षेत्र का विवरण :--

<b>DOFIO</b>	तहसील	ग्राम	गाटा	क्षेत्रफद	T I	<b>X</b> DATA	firm	–कोआदिदस	ত্য অনিত	िखनन योग्य	T	
1	2	3	राठ/खण्ड राठ						का नाम	श्वनन याग्य निर्घारित/ आंकलित उपखनिज की गात्रा (घनमी0 में)	आधार मृत्य (रायल्टीदर X निर्धारित/ आकलित मात्रा)	अनेस्ट मर्ग (आधार मूल का 50 प्रतिशत)
	***************************************		4	5		6	and the state of t	7	8	9	10	. 11
	#8444	जमराव <u>ा</u>	15/35 से 15/39		'उता	भाग	N -25°22'51.10"	E-81°10'21.20° मोरम	50,000	75,00,000	37,50,000	
					Z Kito	यमुना नदी का शब भाग	N -25°22°36.90°	E-81°10′53.00°				
					444	सनन पट्टा सण्ड संख्या १५/अ	N -25 22 33.90*	E-81*10'61.80"				
					परिवा	राख्या १५/४०	N -25"22"48.00"	E-81°10′19.70°				
	भंजनपुर	कटरी	14/7 🕏	17.00		खण्ड संख्या 14/7 र 14/10 का शेष माग		E-81"16.016"	#IX# - #	1,10,500	1,65,75,000	82,87,500
					दक्षिण	खण्ड संख्या 14/7 से 14/10 का शेष भाग	N -25"19.975"	E-81*16.214*				
					पूरव	खण्ड राज्या १४/६	N -25"19.755"	E-81*16.261*	1/	***************************************		
		***************************************			पश्चिम	खण्ड संख्या १४/११	N -25 19.777"	E-81*15.983*		- Anna		
	THE STATE OF THE S	उगरवल	9/8 से 9/10		उत्तर	ग्राम जनस्त्रत तथा जनपद कौशाम्बी	N -25"18"15.96"	E-81'33'39,03'	गरग	1,35,000	2,02,50,000	1,01,25,000
					दक्षण	ग्राम पटुंजा तथा जनपद प्रयामश्रज	N -25"18"25,43"	E-81°33'52.36'				
					Test	खण्ड २१० छ/ठर व पपुना गरी का शेष भाग	N -25 18 15.78	E-81°34'0 57"				
					पश्चिम	खण्ड २० ३/११ द यपुरा नदी का शेष भग	(N-25*18 6.14*	E.81°33'47,12"		Personal and the second	***************************************	
	414ल	विषरहटा	9/3 रो	16.00	Jide	यगुना नदी का शब भाग	N -25°18'30,49'	E-81*347.22*	मोरम	1.20.000	1,80,00,000	90,00,000
		Areamonia	inician company apparatu	- Inches	(K)PI	यमुना नदी का शेष भाग	N -25°18'48.83"	E-81*34*19.50*				and a second
	-	No.			74	खण्ड संख्या 9/2	N -25"18"39.49"	E-81°34'26.64"		and the same of th		- Anna
				<u> </u>	रियम	खण्ड संख्या १/५	N -25"18"29 63"	E-81*34'15.79"				

2- ई-निविदा की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी।

	दिनांक .19-0/-2024 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 24.01.2024 को सायं 05:00 बजे तक
	को अपराह्न ०५:०० बजे तक
ई-निविदा को खोलने का दिनांक व स्थान	कार्यालय जिलाधिकारी कौशाम्बी में दिनांक 20,01.2024 को अपराहन 12:00 बजे से



- 1. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
- 2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू/मोरम या वजरी या बोल्डर) इनमें कोई भी मिली जुली अवस्था हो की मात्रा यदि पर्यावरण अनापितत प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापितत की मात्रा अनुमन्य होगी।
- 3. किसी क्षेत्र के ई—निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रि—बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी, तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट रूप्तुत करना होगा।
- 4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी।

(क) ई-निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने वालें बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेंन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

- (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई—निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना होगा। निविदादग्ता अपने स्वयं जनित यूजर आई०डी० व पासवर्ड बनवायेंगे।
- (ग) बिडर्स / कान्ट्रैक्टर्स / बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
- 6. निविदादाता द्वारा आनलाइन निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई०डी० लागिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप—2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। प्रारूप—2 की सूचनायें :—
  - क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
  - ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक।
  - ग-निविदाकार का नाम, पिता का नाम व पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल व मोबाइल नम्बर।
  - घ-उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
  - इ- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू० २००० / का चालान संख्या व दिनांक।
  - च— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
  - छ-पैन कार्ड का कमांक।
  - ज- चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। झ-कम्पनी की दशा में कम्पनी डी०आई०एन० संख्या।

स्व० प्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

क— ई निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू० २०००/— का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान। ख— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग-पैनकार्ड

घ— जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक / परिहारधारक न रहा हो। वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ड— सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां व स्थायी रूप से निवासी करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का डिन आवश्यक होगा।

- 7. विज्ञप्ति के अनुसार पांच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर से खोला जायेगा।
- 8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या—6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड़ नहीं की जाती है तो उसकी ई—निविदा अस्बीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप—2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगां।
- 9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- 10. सर्वोच्च दर से निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
- 11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 12. प्राप्त ई—निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में सं अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पर निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि नियमानुसार डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० देय होगा।
- 13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापित को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा, जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण अनापित प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा पत्र धारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दिया जायेगा।
- 14. पर्यावरण अनापितत प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

- 15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज व अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
- 16. पर्यावरण अनापित प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ह खनन संकियाये सम्पादित करेगा।
- 17. खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा परिवहन हेतु सम्बन्धित ग्राम की कास्कारी भूमि से रास्ता बनाने व उत्तरदायित्व स्वयं अनुज्ञा पत्र धारक का होगा।
- 18. मात्रा आदि के सम्बन्ध में Replenishment study/शासन/मा० एन०जी०टी०/मा० न्यायालय के आदेश के अधीन होगा।
- 19. मा० उच्चतम / उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आकै उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संग शासनादेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(सुजीतं कुमार) जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

संख्या व दिनांक उक्त। प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ०प्र०), लखनऊ।
- 3. आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, प्रयागराज।
- 5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपीरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 6. निदेशक, सूचना विभाग उ०प्र० लखनऊ।
- 7. उपजिलाधिकारी मंझनपुर/चायल/सिराथू को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी, कौशाम्बी